पत्रांक –3/एम०–17/2024सा0प्र0 6286/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफराने अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 10.04. 2024

विषय– बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन/निष्पादन के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार/संचालन पदाधिकारी एवं ऐसे कार्यों के निष्पादन में सम्मिलित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या–5 में निहित अनुशंसा।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रावधानित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1893 दिनांक–14.06.2011, 10798 दिनांक–04.08.2014, 17696 दिनांक–23.12.2014, 12787 दिनांक–28.08.2015, 11931 दिनांक–01.09.2016, 12196 दिनांक–07.09.2016, 8237 दिनांक–06.07.2017, 10875 दिनांक–24.08.2017, 15548 दिनांक–06.12.2017, 6210 दिनांक–14.05.2018, 6727 दिनांक– 08.07.2020, 1031 दिनांक–25.01.2021, 4162 दिनांक–25.03.2021, 5243 दिनांक–12.05.2021, 10586 दिनांक–

15.09.2021, 13934 दिनांक–25.11.2021, 8471 दिनांक–30.05.2022, 10104 दिनांक–21.06.2022, 18976 दिनांक–21.10.2022, 23061 दिनांक–21.12.2022, 17796 दिनांक–21.09.2023 एवं अनुवर्त्ती परिपत्रों, जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in/gad) पर उपलब्ध है, के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने का निदेश समय–समय पर निर्गत किया गया है।

3. साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रियाओं को स्पष्ट एवं सुग्राह्य बनाने हेतु बिपार्ड द्वारा विभागीय कार्यवाही हस्तक भी प्रकाशित किया गया है। इस संदर्भ में बिपार्ड द्वारा इन कार्यों में संलग्न कर्मियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

4. बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के निलंबन, आरोप पत्र का गठन तथा अनुशासनिक कार्रवाई के ससमय संचालन की विस्तृत समीक्षा सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या–5 में उक्त संदर्भ में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गयी है–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित हो।

(ii) निलंबन के मामले में निर्धारित समयावधि के अन्दर यदि कार्रवाई सम्पन्न नहीं होती है तो उसके लिये संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

(iii) प्रपत्र 'क' गठित करने से पहले विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो।

5. अतः अनुरोध है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा की गयी उक्त वर्णित अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव